

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
क्रमांक / GENS/11242/2026-WCD अटल नगर, दिनांक 03/03/2026

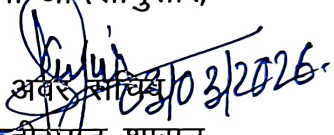
// आदेश //

श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, सदस्य छ.ग. राज्य महिला आयोग रायपुर द्वारा दिनांक 03 मार्च 2026 को सदस्य पद का त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2/ राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, सदस्य छ.ग. राज्य महिला आयोग रायपुर का महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 4(2) के प्रावधानों के प्रकाश में दिनांक 03.03.2026 से त्यागपत्र स्वीकार करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

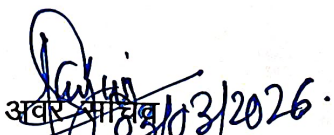
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ. क्रमांक / GENS/11242/2026-WCD

अटल नगर, दिनांक 03/03/2026

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. शासन रायपुर।
4. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, रायपुर।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग/लोक आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य महिला आयोग/अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर।
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
8. समस्त जिला कलेक्टर, छ.ग.।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक, छ.ग.।
10. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग छ.ग.।
11. श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, संतोषी नगर, खमतलाई वार्ड नं. 7 रायपुर, द्वारा सचिव, राज्य महिला आयोग रायपुर कृपया तामिल कर पावती उपलब्ध कराये।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. आदेश फोल्डर


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग